

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
घरेलू यात्रा के लिए दिशानिर्देश (हवाई/ट्रेन/अंतर-राज्यीय बस यात्रा)

- 1) संबंधित एजेंसियों द्वारा यात्रियों को 'टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें' के बारे में दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे।
- 2) सभी यात्रियों को अपने मोबाइल उपकरणों पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।
- 3) एहतियाती उपायों सहित कोविड-19 के बारे में उचित घोषणाएं हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनलों और उड़ानों/ट्रेनों/बसों पर की जाएगी।
- 4) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्थान के समय सभी यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरेंगे तथा उड़ान/ट्रेन/बस में सवार होने के लिए केवल स्पर्शोन्मुख यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।
- 5) बोर्डिंग और यात्रा के दौरान, सभी यात्री फेस कवर/मास्क का उपयोग करेंगे। वे हाथ की स्वच्छता और श्वसन स्वच्छता का भी पालन करेंगे और पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखेंगे।
- 6) हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/बस टर्मिनलों पर सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
- 7) हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/बस टर्मिनलों को नियमित रूप से स्वच्छ/कीटाणुरहित किया जाना चाहिए तथा साबुन और सैनिटाइज़र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- 8) निकास स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी।
- 9) स्पर्शोन्मुख यात्रियों को इस सलाह के साथ जाने की अनुमति होगी कि वे 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करेंगे। यदि उनमें कोई लक्षण विकसित होता है, तो वे उसकी सूचना जिले के निगरानी अधिकारी या राज्य/राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) को देंगे।
- 10) जिन लोगों में रोगसूचक पाया गया, उन्हें अलग किया जाएगा और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में नैदानिक गंभीरता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा।
- 11) मध्यम या गंभीर लक्षण वाले लोगों को कोविड स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में भर्ती कराया जाएगा और तदनुसार उनका उपचार किया जाएगा।
- 12) हल्के लक्षणों से पीड़ित लोगों को कोविड देखभाल केंद्र में (या सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में) होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखने का विकल्प दिया जाएगा और आईसीएमआर <https://www.mohfw.gov.in/pdf/Revisedtestingguidelines.pdf> पर उपलब्ध प्रोटोकॉल के अनुसार उनका परीक्षण किया जाएगा। सकारात्मक होने पर, उन्हें कोविड देखभाल केंद्र में रखा जाएगा तथा नैदानिक प्रोटोकॉल के अनुसार उनका उपचार किया जाएगा। यदि परीक्षण नकारात्मक है, तो यात्री को घर जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन स्त्री/पुरुष स्वयं को आइसोलेट करेगा तथा उसके आगे सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेगा। यदि किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित होते हैं तो वे व्यक्ति अपने बारे में जिला निगरानी अधिकारी को सूचित करेगा या राज्य/राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) पर सूचना देगा।

नोट: राज्य भी अपने आकलन के अनुसार संगरोध और अलगाव के संबंध में अपने स्वयं के प्रोटोकॉल का विकास कर सकते हैं।

नोट: राज्य भी अपने आकलन के अनुसार क्वारंटाइन और अलगाव के संबंध में अपने स्वयं के प्रोटोकॉल का विकास कर सकते हैं।